संख्या:31/2021/765ई-2/तेरह-2021-74/2016

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय: मे. सुपीरियर इण्ड ज लि., बरेली की अधिष्ठापित क्षमता 244.20 लाख ली. वार्षिक के अंतर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 199.80 लाख ली. वार्षिक से बढ़ाकर 219.78 लाख ली. वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-92/दो-प्रा.डी.-3/सुपीरियर दिनांक 03-03-2021 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 16-03-2021 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्रसंख्या-746ई-2/तेरह-2021-74/2016, दिनांक 19-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स सुपीरियर इण्डस्ट्रीज लि., बरेली की वर्तमान स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 244.20 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 199.80 लाख ली. से बढ़ाकर अधिष्ठापित क्षमता 244.20 लाख ली. वार्षिक का 90 प्रतिशत अर्थात् 219.7 लाख ली. वार्षिक स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना)(तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in